न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक M 1271–पीबीआर / 2014 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–5–2014	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–3–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख करते हुए कि जिला पंजीयक से पत्र प्राप्त, जिसमें राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का लेख किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में याचिका के निराकरण तक नामांतरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, प्रकरण समाप्त किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अंतिम प्रकृति का है, जिसके विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 8 के अंतर्गत इस न्यायालय को अधीक्षण शक्तियां प्राप्त है, जिसके तहत संहिता के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है । फलस्वरूप यह विविध आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

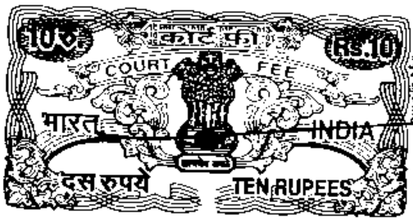

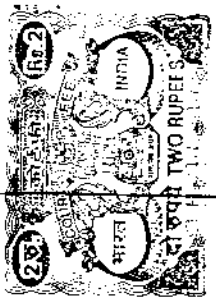

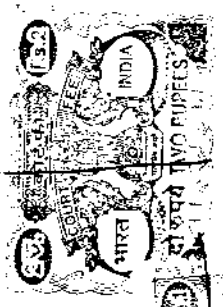

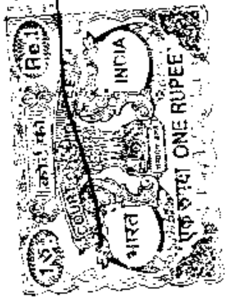

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरीक्षण (विविध)

मिस- 1271 PBR/14

प्रक्र- कि. 21-4-14 (?)

आज दि. 21-4-14 को

प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती शोभा मोहता पति श्री आनंद कुमार मोहता
2. श्री आनंद कुमार मोहता पिता स्व. श्री सूरजरत्नजी मोहता

निवासीगण मोहता भवन डॉ.रोशनसिंह भण्डारी मार्ग इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–8 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करते है–